संख्या-201 /2025/1065/चार-2025-1914429

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, एम0 जी0 रोड,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2025

विषय:- राज्य संरक्षित स्मारक जिगनी की गढ़ी हमीरपुर, प्राचीन गुम्बद बन्तीखेड़ा शामली एवं ठकुरपुरा की गढ़ी झांसी के वृहद अनुरक्षण संबंधी कार्य कराये जाने के लिये गठित आगणन पर व्यावसायिक व विशेष सेवाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयकअपने पत्र संख्या-2582/प्रथम-03क कन्सलटेन्ट(35)/24 दिनांक 25 मार्च, 2025, पत्र संख्या-2583/प्रथम-03 कन्सलटेन्ट(36)/24 दिनांक 25 मार्च, 2025एवं पत्र संख्या-2584/प्रथम-03 कन्सलटेन्ट क(37)/24 दिनांक 25 मार्च, 2025का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्नलिखित कार्यों के वृहद अनुरक्षण संबंधी कार्य कराये जाने के लिये गठित आगणन पर व्यावसायिक व विशेष सेवाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है :-

क्र0	विषय	धनराशि
1	राज्य संरक्षित स्मारक जिगनी की गढ़, हमीरपुर पर वृहद अनुरक्षण कार्य हेतु कन्सलटेंट द्वारा गठित आगणन पर व्यय	रू0 2,42,612.00
2	राज्य संरक्षित स्मारक प्राचीन गुम्बद, बन्तीखेड़ा, शामली पर वृहद अनुरक्षण कार्य हेतु कन्सलटेंट द्वारा गठित आगणन पर व्यय	रू0 1,56,240.00
3	राज्य संरक्षित स्मारक ठकुरपुरा की गढ़ी, झांसी पर वृहद अनुरक्षण कार्य हेतु कन्सलटेंट द्वारा गठित आगणन पर व्यय	रू0 4,67,030.00
	कुल योग	**रू0 8,65,882.00**

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा उपरोक्त चार्ट में उल्लिखित राज्य संरक्षित स्मारकों पर वृहद अनुरक्षण संबंधी कार्य कराये जाने हेतु गठित आगणन के संबंध में व्यावसायिक व विशेष सेवाओं हेतु कुल धनराशि **रू0 8,65,882/- (रूपये आठ लाख पैंसठ हजार आठ सौ बयासी मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ का होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

(4) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103 पुरातत्व विज्ञान-03 पुरातत्व निदेशालय-16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या-201/2025/ 1065 (1) /चार-2025-1914429तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।